संख्या:217/2015/2279जेएल/22-3-15-100(71)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2015***

विषय: जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी विनोद उपाध्याय पुत्र श्री राम कुमार उपाध्याय, निवासी जनपद-गोरखपुर को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र दूरस्थ कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-22835/सामा-1(3)/31 गोरखपुर मं0/2007, दिनांक 10-07-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 विचारण न्यायालयों द्वारा प्रदत्त अनुमति के आलोक में उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी विनोद उपाध्याय पुत्र श्री राम कुमार उपाध्याय को उप कारागार, देवबन्द स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:217/2015/2279जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर/सहारनपुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर/सहारनपुर।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर/अधीक्षक, उप कारागार, देवबन्द।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in